

20/01/23

संशोधन  
अधिकारी  
N.M.A.  
अ.स.

उक्त पत्रावली आज मूल वाद के साथ रिपोर्ट से लक्ष होकर पेठा हुई। वादी पत्रा मूल वाद सं. 175/22 उक्तानी सोहन सिंह N/S पं.स. सिंह को आज विज्ञा कर लिखा है। इस कारण कि उक्त पत्रा मूल वाद के अभाव में कागज चलने योग्य नहीं है। अतः पत्रा खारिज किया जाता है। मिला उक्त मन्वर से कम होकर मूल वाद सं. 175/2022 उक्तानी सोहन सिंह N/S पं.स. सिंह के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी